न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. केशा कालबेलिया पिता हमीर कालबेलिया निवासी बांसडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 11-/-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बांसडा की आ.न. 96/12 रकबा 4.05 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 12.04.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 29.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

अति. जिला कलक्टर

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि प्रार्थी ने सिलिंग भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) के अन्तर्गत पेश किया हैं, जबकि सिलिंग भूमि को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 17(4) के तहत पेश किया जाना चाहिये था। प्रार्थी ने आवंटन के संबंध में भूमि आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति भी पेश नही की हैं। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं।

तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 12.04.2019 से ही पंजीबद्व चला आ रहा है। प्रकरण में एक वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार भीलवाडा ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार भीलवाडा सम्पूर्ण एवं विधिवत प्रक्रिया अपनाकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-1-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ (राज.)